न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–194 / 2023 दायर दिनांक– 14.7.2023

GCMS NO:- 2023/304 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

रामचन्द्र आ0 सेवाराम जाति चमार नि0 देई

प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट</u>

उपस्थितिः–

प्रार्थीया की ओर से अभिभाषक श्री शंकरलाल शर्मा।

निर्णय दिनांक 12.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गणेशपुरा प0म0 गुढादेवजी की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 की खाता संख्या 129 नया व 124 पुराना के खसरा नम्बर 21 रकबा 2.0630 हैक्टयर, खसरा नम्बर 22 रकबा 0.2751 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.3381 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी ग्रामीण व्यक्ति है जिससे अपने खातेदारी की भूमि की सीमाओं का ज्ञान नही होने से प्रार्थी के पडौसी खातेदारान आये दिन प्रार्थी से भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है तथा प्रार्थी को सीमाओं का ज्ञान नही होने से प्रार्थी के हक आधिपत्य की भूमि को जबरन कब्जा कर अपनी भूमि मे मिलाना चाहते है। प्रार्थी ने दिनांक 18.04.2023 को सीमाज्ञान का आवेदन किया था जिस पर पटवारी हल्का गुढादेवजी ने सीमाज्ञान किया तब पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की कुछ भूमि पडोसी खातेदारान के कब्जे मे निकली जो जबरन प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है तथा आये दिन प्रार्थी से भूमि की सीमाओं को लेकर लडाई झगडा करते है। जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थगढी करवाने का निवेदन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, पूर्व मे हुए सीमाज्ञान की प्रति, शपथ पत्र आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे निहित खसरा नम्बर 21 रकबा 2.0630 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 22 रकबा 0.2751 हैक्टयर का सीमाज्ञान आवेदन पूर्व मे प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.04.2023 को किया गया था जिसमे पटवारी हल्का गुढादेवजी द्वारा रिपोर्ट मे उक्त भूमि का सीमाज्ञान लगभग 3 वर्ष पूर्व होना अंकित किया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम गणेशपुरा के खसरा नम्बर 21 रकबा 2.0630 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 22 रकबा 0.2751 हैक्टयर पर **प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो** नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ